EDITORIAL

Only Unbroken Unity is the Option

It is an undeniable truth in the history of the working class that the unity of workers is the only alternative for their economic and social upliftment. It is well known that in 1886, an international conference of workers was held in Chicago, USA, where workers vehemently demanded an 8-hour workday. Following the conference, a rally was organized, which was attacked by a coalition of American mill owners and the local police administration. As a result, seven worker leaders were killed. On that occasion, the workers raised the slogan— "Workers of the world, unite!" —and this slogan was embraced with great reverence by the working class worldwide.

The achievement of that labour conference was that governments across the world implemented an 8-hour workday in all workplaces—be it government institutions, semi-government organizations, or public sector enterprises. Additionally, measures for workers' safety, a conducive work environment, health welfare schemes, housing arrangements, clean drinking water, proper sanitation facilities, and gardens in office premises were ensured. Many other facilities, such as uniforms for lower-level employees and educational arrangements for their children, were also provided. Numerous labour laws were enacted to secure workers' employment until retirement. These achievements came at a time when most countries were under British colonial rule. Notably, in India, the law to form and register trade unions was established in 1920, while India was still a British colony. Workers secured these rights through their unity, struggle, and sacrifices.

The momentum did not stop there. Before India's independence, the British government enacted several protective laws for workers, including the Minimum Wages Act and the Bonus Payment Act, totalling 44 laws. After independence in 1950, democratic governance was established, and the Indian Constitution incorporated provisions safeguarding workers' rights, including freedom of expression. Successive elected governments further improved wages, promotions, housing, and healthcare for workers. The nation acknowledged that workers and employees are the builders of the country.

However, recent efforts aim to alter this framework. By dismantling 29 labour laws, a consolidated Labour Code has been introduced and approved by Parliament. Once implemented, it will become nearly impossible for workers to collectively demand fair wages and better working conditions. Even forming trade unions or organizing strikes, protests, and demonstrations—essential tools to voice grievances—will be restricted. If analyzed objectively, workers will be forced into a life of servitude.

In such circumstances, every unit of the labour movement must reflect on its glorious history and draw lessons to unite firmly in the national interest. Workers across all productive sectors—government, semi-government, and private—must stand together, for only unbroken unity can secure their future.

An apt analogy is that of a broom—its strength lies in its bundled strands. If separated, the strands scatter and become useless. Similarly, united, workers can democratically resist anti-worker policies, but if divided, they will meet the same fate as scattered broomsticks.

Another example: A single dog hit by a stone runs away whimpering, but if the same stone is thrown at a beehive, the bees collectively drive the attacker away. This exemplifies the power of unity.

We live in a democratic country. While it is our duty to contribute to the nation's progress, integrity, and freedom with full dedication, we must also remember that forgetting our rights contradicts the principles of citizenship.

Thus, it is universally accepted that only through complete unity can workers and employees ensure the development and security of their workplaces while safeguarding their rights.

We can learn from bank employees and officers. Post-nationalization, banks flourished, extending services even to the marginalized, fueling economic growth. Bank employees played a commendable role while also uniting to voice their demands and securing justice through peaceful protests.

In BSNL, however, the scenario differs. While top-level officers, being central government employees, enjoy benefits like the 7th Pay Commission recommendations (including salary hikes, medical facilities, education allowances, and advances for laptops, cars, etc.), lower-level workers recruited by BSNL have seen no wage revisions since 2010. Promotions and timely financial upgrades have stalled, and demands for a new promotion policy are ignored.

For instance, while newly recruited Junior Engineers in the telecom department receive a salary of Rs 35,400, BSNL's Junior Engineers are paid only Rs 31,000—an unjust disparity.

To overcome these challenges and secure rightful demands, workers must embrace the historic mantra of unbroken unity. If all BSNL employees—regardless of recruitment status—unite, setting aside differences, they can undoubtedly overcome these hurdles and march toward a brighter future.

Long Live Workers Unity!

Long Live NFTE!

संपादकीय

मात्र अक्षुण्ण एकता ही विकल्प

श्रमिक समुदाय के इतिहास में यह मिल की पत्थर की तरह सत्य है कि श्रमिकों की एकता ही श्रमिकों की जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की व्यवस्था का एकमात्र विकल्प है। यह सर्व विदित है कि सन 1886 में अमेरिकी राष्ट्र के शिकागो शहर में मजदूरों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। जिसमें मजदूरों ने 8 घंटे काम का पुरजोर मांग उठाया था। सम्मेलन के उपरांत एक रैली आयोजित की गई थी। जिसके विरुद्ध अमेरिकी मिल मालिकों तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन के गठजोड़ ने मजदूरों के रैली पर आक्रमण किया। जिसके फलस्वरुप सात मजदूर नेताओं की मौत हो गई। उक्त अवसर पर मजदूरों ने नारा दिया कि – 'दुनिया के मजदूर एक हो', और वह नारा पूरे विश्व के श्रमिक समुदाय में अत्यंत श्रद्धा से अपनाया गया। उक्त श्रमिक सम्मेलन की यह उपलब्धि हुई की संपूर्ण विश्व की सरकारों ने सभी प्रकार के श्रम स्थलों पर चाहे वह सरकारी संस्थान हो, अर्ध–सरकारी संस्थान हो, लोक उपक्रम हो सभी क्षेत्र में मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य अवधि बहाल की। इसके अतिरिक्त कार्य स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा, कार्य स्थल पर कार्य संपन्न करने के लिए उत्तम परिवेश, मजदूरों की स्वास्थ्य संबंधी कल्याण योजनाएं भी लागू की गई। कालांतर में मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था, कार्य स्थल पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालयों की उचित व्यवस्थाएं, कार्यालय परिसर में मनोरम बाग बगीचे की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और भी अनेकों सुविधाएं यथा निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए वर्दी की व्यवस्था, उनके बच्चों के शिक्षा की उचित व्यवस्था आदि अनेक सुविधाएं मुहैया कराई गई। कर्मचारियों के सेवा की सुरक्षा हेतु अनेकों श्रम कानून बनाए गए। एक तरह से श्रमिकों और कर्मचारियों की नौकरी की आयु सीमा तक उनको सुरक्षित रूप से सेवानिवृत होकर घर जाने तक के लिए विभिन्न श्रम कानून बने। यह उपलब्धि उस समय हुई जब दुनिया के अधिकांश देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन गुलामी झेल रहे थे। ज्ञातव्य है कि भारत में ट्रेड यूनियन गठित करने और उसे पंजीकृत करने का कानून 1920 में बन चुके थे। जब भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक उपनिवेश था। यह सुविधा श्रमिकों ने अपने एकता, संघर्ष, कुर्बानी के बदौलत प्राप्त किया। सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, भारत के आजादी मिलने के पूर्व तक ब्रिटिश राज्य में मजदूरों एवं कर्मचारियों के लिए अनेकों सुरक्षात्मक कानून बने। जिसमें न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम सहित अनेकों कानून बने जिनकी संख्या 44 तक पहुंच गई थी। देश को आजादी मिलने के बाद सन 1950 में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई और भारत के संविधान में श्रमिकों के लिए तथा आम जनता के लिए विचार व्यक्त करने की व्यवस्था सहित आम आवाम तथा श्रमिक समुदाय के लिए अनेकों धाराएं समावेशित की गई। अपने देश की चुनी हुई सरकारों ने भी मजदूरों के वेतन भत्ते, पदोन्नति, आवासीय सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा आदि का उत्तरोत्तर विकास किया। राष्ट्र ने भी यह माना कि मजदूर एवं कर्मचारी ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं।

वर्तमान में इस परिवेश को बदलने के प्रयास किया जा रहे हैं। कुल 29 श्रम कानून को तोड़कर कर लेबर कोड बनाया गया है। जिसका अनुमोदन सांसद ने भी कर दिया है। इन लेबर कोड के लागू होने के बाद मजदूरों के लिए एकबद्ध होकर अपनी मांगों को रखना अपने वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के लिए आवाज उठाना असंभव हो जाएगा। यहां तक की कर्मचारी अपने समुदाय के लोगों को एकत्रित कर ट्रेड यूनियन का गठन भी नहीं कर सकते। हड़ताल, धरना, प्रदर्शन के द्वारा मजदूरों को अपनी आवाज उठाकर शासन का ध्यान आकृष्ट करने का हथियार छीन लिया जाएगा। अगर सही परिपेक्ष्य में विश्लेषण करें तो मजदूर एवं कर्मचारी गुलामी की जिंदगी बसर करने हेतु मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में श्रमिक संघ के प्रत्येक इकाई को श्रमिकों एवं श्रमिक संगठनों के गौरवशाली इतिहास पर एक नजर डालनी होगी और इतिहास से सीख लेकर दृढ़ता के साथ अपने राष्ट्रहित में समस्त उत्पादक संस्थाओं, सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी श्रमिक पुनः एकजुट हो जाएं क्योंकि अक्षुण्ण एकता ही श्रमिकों का जीवन सुरक्षित कर सकता है।

समझने के लिए यह उदाहरण प्रासंगिक होगा कि तिनकों से बना बंडल, जिसे हम झाड़ू कहते हैं, जिसका उपयोग आवासीय एवं कार्यालय परिसर की सफाई में प्रयोग करते हैं। इस झाड़ू का बंधन अगर तोड़ दिया जाए तो समस्त एकत्रित तिनके बिखर जाते हैं और खुद कचरा बन जाते हैं। अतः एक सूत्र में बंधकर हम अमानवीय कर्मचारी विरोधी कार्रवाइयों को जनतांत्रिक रूप से विरोध करते हुए उससे निजात पा सकते हैं। परंतु अगर हम झाड़ू के तिनके की तरह अलग–अलग बिखर जाएंगे तो हमारी भी वही गति होगी जो बिखरे हुए तिनके का होता है।

एक और उदाहरण के साथ हम इसे व्यापक रूप से समझ सकते हैं। अगर एक व्यक्ति पत्थर के टुकड़े से किसी कुत्ते को मार देता है तो वह कुत्ता अकेला होने के कारण घिघियाते हुए भाग जाता है, परंतु वही व्यक्ति उसी प्रकार के पत्थर से किसी मधुमक्खी के छत्ते पर प्रहार करें तो क्या होता है? सारी मधुमक्खियां उसको भागने पर मजबूर कर देती हैं। यह और कुछ नहीं एकता का मिसाल है।

हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रगति, देश की अखंडता, देश की आजादी की सुरक्षा के लिए हर प्रकार का योगदान करते हुए जिस उद्योग या कार्यालय में कार्य करते हैं, उसके प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ उसके विकास के लिए जी तोड़ योगदान करना चाहिए परंतु साथ ही याद रखना होगा कि अपने अधिकारों को भूल जाना भी नागरिकता के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

इस परिपेक्ष में यह सर्वमान्य होगा कि मजदूर एवं कर्मचारी पूर्ण रूप से एकताबद्ध होकर ही अपने प्रतिष्ठान, कार्यालय का विकास, सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही अपने अधिकारों की भी रक्षा कर सकते हैं।

हम अपने देश में बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के संगठनों से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात देश में काफी तरक्की हुई। बैंक के दरवाजे समाज में अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति के लिए भी खुल गई। जिससे आर्थिक विकास का दौर शुरू हुआ। इस पुनीत कार्य में बैंक कर्मचारियों ने सराहनीय योगदान किए हैं। साथ ही अपनी समस्याओं एवं हक के लिए बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांग रखते हैं, तथा अपने सत्याग्रह के माध्यम से अपनी जायज मांगों को प्राप्त भी करते हैं।

हमारे बीएसएनएल के अंतर्गत कुछ अलग व्यवस्था है। यहां परिमंडल स्तर एवं उससे ऊपर के अधिकारी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। उनके नीचे सेवारत सभी कर्मचारी बीएसएनएल द्वारा भर्ती किए गए हैं या दूरसंचार विभाग से स्थानांतरित होकर बीएसएनल में सामंजित किए गए हैं। इस हालत में शीर्षस्थ अधिकारियों का सहयोग अन्य समुदाय के साथ नहीं मिलता बल्कि वे शासक का रुख अख्तियार करते हुए निचले कर्मचारियों के जायज मांगों को सरकार तक पहुंचने भी नहीं देते हैं।

ज्ञातव्य है कि बीएसएनएल में कार्यरत उच्च पदस्थ पदाधिकारी केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के कारण सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के सारे लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें वेतन भत्ते, चिकित्सा सुविधा, बच्चों की शिक्षा शुल्क भत्ता, ज्ञान वृद्धि भत्ता सहित लैपटॉप, कम्प्यूटर, कार आदि खरीदने हेतु अग्रिम की सुविधा प्राप्त हो रही है। यहां ध्यातव्य हो कि उनके रखरखाव के पूरे खर्च का वहन सरकार नहीं करती है बल्कि यह बीएसएनएल के कोष से भुगतान किया जाता है। दूसरी तरफ बीएसएनएल में कार्यरत दैनिक मजदूर एवं टेंपरेरी स्टेटस प्राप्त मजदूरों का मजदूरी में 01.10.2010 के बाद किसी प्रकार के बढ़ोतरी की समीक्षा नहीं की गई है। अन्य कर्मचारी जो बीएसएनएल द्वारा भर्ती किए गए हैं या दूरसंचार विभाग द्वारा स्थानांतरित करके आए हैं, उनका वेतन पुनरीक्षण का कार्य 01.01.2017 से लंबित है। उनके वेतनमान का निर्धारण करने में उच्च अधिकारी जो सरकारी होते हुए पूर्णरूप से वेतन भत्ता सहित समस्त सुविधाएं बीएसएनएल से प्राप्त कर रहे हैं, व्यवधान बने हुए हैं।

बीएसएनएल के साठ प्रतिशत निम्न वर्गीय कर्मचारी पिछले 10–12 वर्षों से वेतन बढ़ोतरी से वंचित हैं। साथ ही पदोन्नति की कोई परीक्षा नहीं हो रही है। समयबद्ध आर्थिक उन्नयन की पदोन्नति नीति ध्वस्त हो चुकी है। नई पदोन्नति नीति जारी करने की मांग को नजर अंदाज किया जा रहा है।

बीएसएनएल द्वारा भर्ती जूनियर इंजीनियरों के वेतनमान पर भी उच्च प्रबंधन की बेरुखी न्याय संगत नहीं है। एक ओर दूरसंचार विभाग के जूनियर इंजीनियरों की नई भर्ती हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए उनका वेतनमान 35400/– रुपया रखा है, वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों का वेतनमान प्रबंधन ने 31000/– रुपए रखा है। यह सर्वथा अनुचित एवं न्याय से परे है।

अतः इन समस्त कठिनाइयों को दूर करने हेतु एवं अपने जायज मांगों की प्राप्ति हेतु, श्रमिक संगठनों के इतिहास के अनुरूप मूलमंत्र को समझते हुए अक्षुण्ण एकता की गारंटी करनी होगी। जिसमें बीएसएनएल में सामंजित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी तथा बीएसएनएल में भर्ती समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सारे भेदभाव भूल कर पूर्ण रूप से गोल बंद हो जाएं तो निसंदेह उपर्युक्त सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए हम सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।

समस्त श्रमिक एकता जिंदाबाद –

एनएफटीई जिंदाबाद